आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

22.11.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

भूहदबंदी अंदर धारा 16(3) वाद सं0 – 04/2014–15

1. राज कुमार ततमा व नरेश ततमा व सुरेश ततमा, सभी पिता–स्व0 सुगन लाल मंडल उर्फ ततमा
2. ललित कुमार ततमा (नाबालिग), अभिभावक दोस्त गणेश ततमा

सभी सा0–बलुआ, टोला–भीमा, थाना–पलासी, जिला–अररिया

बनाम

1. परमानंद कुमार ततमा, पिता–श्री महंथ लाल ततमा
2. दिनेश कुमार ततमा व रविन्द्र कुमार ततमा (नाबालिग), पिता–श्री महंथ लाल ततमा

सभी सा0–बलुआ, टोला–भीमा, थाना–पलासी, जिला–अररिया – उत्तरवादी प्रथम पक्ष

3. सदानंद ततमा, पिता–श्री टुराई ततमा, ग्राम–बलुआ, टोला–भीमा, थाना–पलासी, जिला–अररिया – उत्तरवादी द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक राज कुमार ततमा, पिता–स्व0 उगन लाल ततमा एवं अन्य, सा0–बलुआ, टोला–भीमा, थाना–पलासी, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 14/2013–14 (राज कुमार ततमा एवं अन्य बनाम परमानंद कुमार ततमा एवं अन्य) अंदर धारा 16(3) भूहदबंदी अधिनियम में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.1.2015 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 23.2.2015 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 19.6.2015 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया और दिनांक 21.8.2015 के आदेश द्वारा इसे विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1266/वि0, दिनांक 4.9.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहद्दी
बलुआ	121	83 84	0.04 डी0 0.19 डी0 कुल 0.23 डी0	उ0–खे0 सं0 84 द0–जैनउद्दीन पू0–उगन लाल मंडल प0–टुराई ततमा

पक्षकारों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि सदानंद ततमा की है। सदानंद ततमा ने प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला सं0 6296, दिनांक 19.10.2013 द्वारा विपक्षीगणों को बिक्री कर दिया गया। जबकि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि के न तो हिस्सेदार है और न ही समीपी रैयत। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि के समीपी रैयत है, जिसकी पुष्टि प्रश्नगत भूमि के केवाला में दर्ज चौहद्दी जिसके पूरब में अपीलार्थीगण के पिता उगन लाल मंडल का नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के चौहद्दी में विपक्षीगण का कहीं नाम दर्ज नहीं है। इसलिये अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि के समीपी रैयत होने के कारण अग्रक्रय का दावा करते है। भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सहित विधिवत चलान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा कर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अन्तर्गत वाद सं0 14/2013–14 दाखिल किया। किन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा उनके अग्रक्रय के दावे को विपक्षीगण के भूमिहीन होने के दावे को सही मानते हुए खारिज कर दिया गया। जबकि विपक्षीगण भूमिहीन नहीं है। क्योंकि विपक्षी सं0 02 एवं 03 जिनके नाम पर भूमि निबंधित कराई गई है, वे नाबालिग है। ऐसी परिस्थिति में उनके पिता द्वारा भूमि क्रय की गई मानी जायेगी और भूमिहीन का दावा मान्य नहीं होगा और उनके पिता की भूमि को भी शामिल किया जायेगा।

इनका यह भी कहना है कि जहाँ तक विपक्षी अपने आप को भूमिहीन बताते हुए सिर्फ अपने नाम का निर्गत एल.पी.सी. (भूमि अधिकार प्रमाण पत्र) मात्र 0.31¼ डी0 भूमि का दाखिल किया है, तो उक्त के संबंध में अपीलार्थीगणों द्वारा विपक्षीगणों के पास 2.00 एकड़ से अधिक भूमि होने का साक्ष्य निम्न न्यायालय में भी दाखिल किया है और इस न्यायालय में भी दाखिल कर रहें है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि विपक्षीगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है। जिसकी अनदेखी कर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश दिनांक 24.1.2015 विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण नहीं है। जिसे निरस्त करते हुए उनके अग्रक्रय के दावे को स्वीकृत करने का अनुरोध करते है। विपक्षी के भूमिहीन नहीं होने के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल किया है :–

1. केवाला सं0 4356, वर्ष 1988, रकवा 0.34¼ डी0
2. केवाला सं0 4270, वर्ष 1998, रकवा 0.12¾ डी0
3. कायमी पर्चा खतियान में प्राप्त हिस्सा – रकवा 0.66 डी0 360 वर्गकड़ी
4. खतियान से प्राप्त हिस्सानुसार निर्गत लगान रसीद – रकवा 0.11¼ डी0
5. खतियान से प्राप्त हिस्सानुसार निर्गत लगान रसीद (मौजा–बलुआ)–रकवा 0.75 डी0

कुल रकवा 2.00½ ए0

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि सदानंद ततमा से उचित मूल्य अदा कर निबंधित दस्तावेज दिनांक 19.10.2013 द्वारा उनलोगों ने प्राप्त कर दखलकार है तथा विपक्षी के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। विपक्षी परमानंद कुमार ततमा के नाम मात्र 0.31¼ डी0 भूमि है। जिसका भूमि स्वांमित्व प्रमाण पत्र सं0 89/589 / 2014–15, दिनांक 10.7.2014 अंचलाधिकारी, पलासी द्वारा निर्गत है। विपक्षीगणों के विरूद्ध भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) निर्वाहन योग्य नहीं है। जिसके संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा PLJR-2011(Volume-IV) पृष्ठ सं0 436 के नियमन प्रकाशित है, जिसके अनुसार विपक्षीगण के विरूद्ध भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) पोषनीय नहीं है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा भूहदबंदी धारा 16(3) वाद सं0 14/2013–14 में दिनांक 24.01.2015 का पारित आदेश विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है, जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों तथा संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के क्रय केवाला दिनांक 19.10.2013 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि कोषागार चलान के माध्यम से जमा कर अग्रक्रय का दावा प्रस्तुत किया तथा केवाला के पूरब चौहद्दी में अपने पिता का नाम दर्ज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि का हिस्सेदार एवं समीपी रैयत होने का दावा प्रस्तुत कया। विपक्षी अपने आप को भूमिहीन होने का दावा प्रस्तुत किया, जिस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अग्रक्रय के दावे को आदेश दिनांक 24.1.2015 को खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित नहीं करता है कि द्वितीय पक्ष भूमिहीन नहीं है। विपक्षीगण के पास अलग–अलग एक एकड़ से काफी कम जमीन है। इस बात की पुष्टि विपक्षीगण के द्वारा दाखिल भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट हो जाता है। आवेदकगण के द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में तामिल किए गए निबंधित केवाला से भी प्रत्येक विपक्षीगण को एक एकड़ से अधिक जमीन हिस्से में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विपक्षीगण भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अन्तर्गत भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं।

अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 24.1.2015 को विधि सम्मत पाते हुए बहाल रखा जाता है तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 176 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 22 / 11 / 2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को वाद सं0 14/2013–14 अंदर धारा 16(3), (राज कुमार ततमा बनाम परमानंद कुमार ततमा एवं अन्य) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22.11.17

अपर समाहर्त्ता
अररिया